बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषयः– प्रखंड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत योजना मद में सृजित पदों में 280 महिला प्रसार पदाधिकारी एवं 166+53= 219 प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के पदो को गैर योजना मद में सृजित करने एवं उक्त सृजित पदों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत 53 सांख्यिकी अन्वेषकों एवं प्रखंड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यरत 166 प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं 280 महिला प्रसार पदाधिकारी को समायोजन करने के संबंध में ।

सी0डब्लू0जे0सी0सं0–6543/91 एवं तत्जनित एम0जे0सी0सं0 294/2000 दीपक कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य मंत्रिपरिषद् के निर्णयोपरान्त इस विभाग द्वारा संकल्प सं0 8987 दिनांक 13.11.03 एवं 554 दिनांक16.1.06 निर्गत कर सभी विभागों से सांख्यिकी अन्वेषक, प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) एवं महिला प्रसार पदाधिकारी के समकक्ष पदों के अनुरूप पदों की पहचान कर रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । परन्तु किसी भी विभाग से रिक्तियों की सूचना प्राप्त नहीं हुई जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कठिनाई हुई । फलतः अवमाननावाद 1839/2005 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 22.08.06 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित हुआ कि आदेश का अनुपालन छः सप्ताह के अन्दर किया जाय ।

इसी क्रम में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 1360 वि0 (2) दिनांक 04.03.06 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत योजना मद में सृजित पदों में 280 महिला प्रसार पदाधिकारी एवं 166+53= 219 प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के पदों का गैर योजना मद में उस वक्त तक के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जब तक कि इन पदों पर उक्त कार्यरत एवं समायोजित पदाधिकारी सेवा निवृत नहीं हो जाते है। इनकी सेवा निवृति के पश्चात् ये पद स्वतः समाप्त हो जायेगें ।

राज्य सरकार के संकल्प संख्या–554 दिनांक 16.1.2006 एवं राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 06.02.2007 को लिये गये निर्णय के आलोक में गैर योजना मद में सृजित 280 महिला प्रसार पदाधिकारी के पदों पर प्रखंड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना में कार्यरत 280 महिला प्रसार पदाधिकारी (वेतनमान–5000–8000/, योग्यता–स्नातक) को एवं प्रसार पदाधिकारी उद्योग एवं वाणिज्य के गैर योजना मद में सृजित 219 पदों पर जिला ग्रामीण अभिकरणों में कार्यरत 53 सांख्यिकी अन्वेषकों (वेतनमान 5000–8000, योग्यता– स्नातक) एवं प्रखंड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यरत 166 प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य, वेतनमान 5000–8000, योग्यता,–स्नातक) को ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न प्रखंडों में समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त समायोजित पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान गैर योजना मद शीर्ष 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास 0001 उत्तर प्रक्रम 2 प्रखंड विपत्र कोड एन0–2515001020001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अ0 22/2/07

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 1624 पटना, दिनांक 22.02.2007

ग्रा0वि0 3 अभि0–1/2004

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 300 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अ0 22/2/07

आयुक्त एवं सचिव